



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269751
CG-DL-E-01022026-269751

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947

No. 84]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026
सं.05 /2026-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 89(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सारणी में यथा उल्लिखित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचनाएं
(1)	(2)
1.	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 24 (अ), तारीख 8 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित सं. 11/2004-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 2004

2.	भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 380 (अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सं. 27/2016-सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2016
----	--

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 450/174/2024-सीयूएस-IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमाशुल्क)

**MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 05/2026-Customs

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as mentioned in the following Table, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:-

Table

Sl. No.	Notifications
(1)	(2)
1.	No. 11/2004-Customs, dated the 8th January, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) <i>vide</i> number G.S.R. 24 (E), dated the 8 th January, 2004.
2.	No. 27/2016-Customs, dated the 31st March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) <i>vide</i> number G.S.R. 380(E), dated the 31 st March, 2016.

2. This notification shall come into force on the 2nd of February, 2026.

[F. No. 450/174/2024-Cus-IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)